


340

448

न्यायालय श्री मान सख्य राजव मंडल सर्किट कोर्ट रीवा मध्य



R-4394-11113

Rs. 20/-

- अधिवक्ता श्री किशोर लाल
रीवा, दि. 4-9-13
- 1- दशम सि तनय दुवरी आयु 60 साल, पेक्षा मजदूरी,
 - 2- रामसुमेर तनय दुवरी, आयु 55 साल,
 - 3- रघुराई तनय दुवरी आयु 52 साल,
 - 4- मागीलाल तनय स्व० हिन्दू साकेत आयु 47 साल,
 - 5- छोटानी तनय हिन्दू साकेत आयु 45 साल,
 - 6- लल्लू तनय हिन्दू साकेत आयु 43 साल,
 - 7- दल्लू साकेत तनय हिन्दू साकेत आयु 42 साल,
 - 8- मल्लू साकेत तनय स्व० हिन्दू साकेत आयु 41 साल,
 - 9- संतोष साकेत तनय सुखई साकेत आयु 26 साल,
 - 10- सोनू साकेत तनय स्व० सुखई साकेत आयु 23 साल,
 - 11- रामरती साकेत सख्य वेवासुखई साकेत आयु 52 साल,
- निवासी सभी ग्राम अमहा, तहसील हनुमना, जिला - रीवा मध्य

----- निगरानीकर्ता गण

बनाम

- 1- परसुराम साकेत तनय पिसुन साकेत आयु वर्ष, नि० लोढ़ी,
 - 2- कृष्ण कुमार सिद्धि ता वाकेलाल निवासी लोढ़ी, तह० हनुमना, जिला रीवा मध्य
- गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार तह०

हनुमना, के द्वारा प्रकरण क्रमांक 52ए/2-11-

-13 के आदेश दिनांक 10-6-13 मे ।

M


340

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 4394-III / 2013

जिला-रीवा

दसमति वगैरः/परसुराम साकेत

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिगुणसेन तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 52/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	

